A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

[illegible] (राज.) उपखण्ड अधिकारी उनियारा।

दायरा तारीख - 03-3-11

प्रकरण सं. - 23/प्रार्थना पत्र/2011

उनवान

1. सियाराम पुत्र हरनारायण जाति मीणा नि. अलीपुरा भगवानपुरा तह. उनियारा
2. जगदीश पुत्र हरनारायण जाति मीणा नि. अलीपुरा भगवानपुरा तह. उनियारा
3. बीरमदेव पुत्र हरनारायण जाति मीणा नि. अलीपुरा भगवानपुरा तह. उनियारा

[प्रार्थीगण]

बनाम

1. बजरंगी पुत्री नाथू पत्नी प्रहलाद मीणा नि. सहादतनगर त. उनियारा
2. भंवरी पुत्री नाथू पत्नी मदन जाति मीणा नि. सहादतनगर त. उनियारा
3. तहसीलदार उनियारा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 आरटी. एक्ट

उपस्थित -

विद्वान अधिवक्ता - श्री पी.सी. जैन (प्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक -

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अलीपुरा-भगवानपुरा तहसील उनियारा के खसरा नं. 37 रकबा 0.05 है, ख. नं. 30 रकबा 4.91 है, ख.नं. 40 रकबा 0.48 है, ख. नं. 49 रकबा 0.56 है, ख. नं. 50 रकबा 0.12 है, ख.नं. 60 रकबा 2.70 है, ख. नं. 89 रकबा 1.95 है, ख. नं. 169 रकबा 1.32 है, ख. नं. 216 रकबा 0.35 है, ख.नं. 238 रकबा 0.05 है, ख.नं. 491 रकबा 2.07 है कुल किता 11 कुल रकबा 14.49 हैक्टेयर जो कि प्रश्नगत आराजियात है, में 1/2 हिस्सा नाथू व 1/2 हिस्सा बजरंगा का था। नाथू ने बजरंगा के पुत्र हरनारायण को जीवनकाल में ही गोद ले लिया। नाथू की मृत्यु पश्चात उसकी पुत्रियों बजरंगी व भंवरी का नाम भी गलत रूप से जमाबंदी में अंकित कर दिया गया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जन-जाति पर लागू नहीं होने से पुत्र के

जीवित रहते पत्नी व पुत्रियों को सम्पति में कोई हक और अधिकार नही होते है।

राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्व कर्मियों द्वारा अप्रार्थीगण का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है। ख्याथा-लय हाजा से तकासमा करवा लिया है। जो कि उत्तराधिकार के विपरीत होने से निर्णय- डिक्री भी अवैध है। अपने नाम अंकन होने से प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजियात को खुर्द-बुर्द व हस्तानान्तरित करने पर आमादा है।

प्रार्थीगण के पक्ष में मामला होने से अप्रार्थीगण को मूलवाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रश्नगत आराजियात को पूर्ण / आंशिक खुर्द-बुर्द न करे, रहन, दान, बेचान न करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री लइक अहमद खान ने अंडरटेकिंग दी। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नही किये जाने पर 15.3.18 को जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गयी।

दिनांक 17.2.2020 को पुन: बहस प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गयी एवं पत्रावली आदेश में रखी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर संलग्न दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया तथा मनन बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात अनुसूचित जनजाति में होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू केवल पुरुषों पर ही होते है स्त्रियों पर नहीं। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के कब्जे-काश्त में है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से का बेचान करना चाहती है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः निवेदन है कि प्रश्नगत आराजियात पर विरुद्ध अप्रार्थीगण 03-03-11 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को तर्कसंगत मूलवाद कन्फर्म किया जावें।

हमने प्रार्थना-पत्र के गुणावगुण पर विचार किया निष्कर्षतः अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है एवं भारत के संविधान के मौलिक अधिकार "समानता के अधिकार" एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के तहत पुत्री का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार होने से प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक